

MOST IMMEDIATE



No-23/25/2011-R&R(Vol-III)
Government of India
Ministry of Power

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, 28th March 2016
30m

To,

1. Principal Secretaries/Secretaries (Power/Energy) of all State Governments/UTs
2. CMDs/MDs of Discoms/Genco of all State Governments/UTs

Subject: Procurement of power for short term (i.e. for a period more than one day to one year) by Distribution Licensees through tariff based bidding process using National e-bidding portal-reg.

Sir/Madam,

I am directed to say that under the provisions of section 63 of the Electricity Act, 2003, Ministry of Power, after detailed consultations with stakeholders, notified Guidelines for procurement of power for short-term (i.e. for a period less than or equal to one year) by Distribution Licensees through tariff based bidding process on 16th May, 2012.

2. Para 2 of the said Guidelines provides that "As and when considered appropriate (not later than 5 years from the issue of these guidelines), the Central Government would examine and introduce a system of 'Reverse Auction' through an e-platform".

3. In accordance with above provisions, the Central Government has examined the requirement of introducing a system of 'Reverse Auction' through a National e-platform. The concept of e-bidding portal was also discussed in the meeting with various stakeholders, including CEA, CERC, POSOCO, State Govts./Discoms/Gencos held on 1st February, 2016 in Power Finance Corporation.

4. Now, the National e-bidding portal for procurement of power for short term (i.e. for a period of more than one day to one year) by Distribution Licensees has been developed through MSTC Ltd. The link for this e-bidding portal is www.mstcecommerce.com and link will also be available on website of Ministry of

power at www.powermin.nic.in and on the website of PFC Consulting Ltd at www.pfclindia.com.

5. Further, training sessions for representatives of State Govts., Discoms, Gencos & Traders on the process of using this portal have also been conducted in Power Finance Corporation on 14th & 18th March, 2016.

6. As procurement of power for short-term in future is required to be done through the e-bidding portal only by the procurer(s) themselves or through an Authorized representative, it is requested that an exercise may be initiated for registration on e-bidding portal for creating own user id and password etc.

7. Accordingly, the Central Government has finalized the amendments to the Guidelines for procurement of power, notified on 16th May, 2012, for introducing system of 'Reverse Auction' through the aforesaid e-bidding portal. All future short term procurement of power shall be done through this portal only, from 4th April, 2016 as per the appended revised guidelines.

Yours faithfully,



(Rajendra Singh)

Under Secretary to the Govt. of India

Tele No. 2373 0265

Copy to-

1. The Chairperson, Central Electricity Authority, Sewa Bhavan, R.K. Puram, New Delhi
2. The Secretary, Central Electricity Regulatory Commission (CERC)/FOR, Chanderlok Building, Janpath New Delhi: with request to bring the above amended guidelines to the notice of all SERCs.
3. Secretaries of All State Electricity Regulatory Commissions/JERCs.

Copy also to : for information

1. All JSs of Ministry of Power/JS&FA/Economic Adviser, Ministry of Power
2. All Directors/DSs, Ministry of Power



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938

No. 92]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2016/ CHAITRA 10, 1938

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2016

प्रशुल्क आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के अल्पावधिक (अर्थात् एक दिन से अधिक और एक वर्ष तक की अवधि के लिए) प्रापण हेतु दिशा-निर्देश

संख्या 23/25/2011-आर एंड आर (खण्ड-III).— 1. प्रस्तावना

1.1. भारत में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। विद्युत क्रय लागत वितरण लाइसेंसियों के लिए लागत का सबसे बड़ा घटक है। इसके अलावा, विद्युत के अल्पावधिक प्रापण के लिए विद्युत क्रय लागत वितरण लाइसेंसियों के लिए समग्र विद्युत क्रय लागत का एक महत्वपूर्ण भाग है। वितरण लाइसेंसियों द्वारा अल्पावधिक विद्युत मांग के स्पर्धात्मक प्रापण से विद्युत के प्रापण की समग्र लागत के कम होने की संभावना है और इससे उपभोक्ताओं को महत्वपूर्व लाभ प्राप्त होंगे।

1.2. अधिनियम की धारा 61 और 62 में समुचित आयोग द्वारा प्रशुल्क विनियमन तथा विद्युत के उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा बिक्री के प्रशुल्क-निर्धारण की व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 63 में यह उल्लेख किया गया है कि –

"धारा 62 में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, समुचित आयोग प्रशुल्क को अपनाएगा यदि ऐसा प्रशुल्क केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया हो तो।"

1.3. केंद्र सरकार ने दिनांक 16 मई, 2012 के संकल्प के माध्यम से, अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशुल्क आधारित बोली प्रक्रिया (जिसे इसके पश्चात् '2012 के दिशा-निर्देश' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के

माध्यम से वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के अल्पावधिक (अर्थात् एक वर्ष से कम अथवा इसके बराबर की अवधि के लिए) प्रापण को अधिसूचित किया था।

- 1.4. 2012 के दिशा-निर्देशों के पैरा 2 में व्यवस्था की गई थी कि "केंद्र सरकार जब भी उचित समझे (इन दिशा-निर्देशों के जारी होने से 5 वर्षों की अवधि के भीतर) वह ई-प्लेटफार्म के माध्यम से 'रिवर्स नीलामी' की प्रणाली का अवलोकन करेगी एवं इसे लागू करेगी।"
- 1.5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार अन्य बातों के साथ-साथ एतद्वारा, दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से, ई-बोली पोर्टल के माध्यम से रिवर्स नीलामी" की प्रक्रिया को शुरू करने के साथ-साथ प्रशुल्क आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के अल्पावधिक (अर्थात् एक दिन से अधिक और एक वर्ष तक की अवधि के लिए) प्रापण हेतु संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित करती है।
- 1.6. तथापि, 2012 के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत की गई कोई भी बात या की गई कार्रवाई या की जाने हेतु तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई इन संशोधित दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत की गई मानी जाएगी।
- 1.7. इन दिशा-निर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-
 - (i) अपनी अल्पावधिक मांग हेतु (एक दिन से अधिक और एक वर्ष तक की अवधि के लिए) वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के प्रतिस्पर्धात्मक प्रापण को प्रोत्साहित करना;
 - (ii) पारदर्शी दिशा-निर्देशों पर आधारित योजनाबद्ध प्रापण की प्रक्रिया के माध्यम से वितरण लाइसेंसियों की विद्युत क्रय लागत को कम करना;
 - (iii) उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करना;
 - (iv) प्रापण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुगम बनाना; और
 - (v) ई-निविदा और ई-रिवर्स नीलामी की प्रणाली को शुरू करना।
- 1.8. ये दिशा-निर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 के संबद्ध प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों और उपर्युक्त आयोग द्वारा जारी किए गए, अन्य लागू विनियमों के साथ पढ़े जाएंगे। कोई विवाद होने की स्थिति में, स्पष्टीकरण केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाएगा।

2. दिशा-निर्देशों का क्षेत्र

2.1. ये दिशा-निर्देश वितरण लाइसेंसियों द्वारा अल्पावधि अर्थात् एक वर्ष या इससे कम अवधि के लिए, विद्युत की खरीद करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं।

स्पष्टीकरण: इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य से "अधिप्राप्तिकर्ता (ओं)" शब्द का अर्थ है, वितरण लाइसेंसि(यों) अथवा इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप बोली प्रक्रिया के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों का निष्पादन करने हेतु वितरण लाइसेंसि(यों) का अधिकृत प्रतिनिधि।

2.2. दिशा-निर्देश प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से अल्पकालीन विद्युत आवश्यकता की अधिप्राप्ति के लिए लागू होंगे।

2.3 जब तक कि इन दिशा-निर्देशों से स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो, तब तक इन दिशा-निर्देशों के प्रावधान अधिप्राप्तिकर्ता(ओं) पर बाध्यकर होंगे।

2.4 संयुक्त बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक से अधिक खरीदारों द्वारा खरीद की अनुमति होगी तथा ऐसे मामले में, खरीदारों को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) सहित एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बोली प्रक्रिया का संचालन करने के विकल्प होंगे। ऐसे संयुक्त खरीददार के लिए, प्रत्येक खरीददार इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान करेगा। बोली के मूल्यांकन में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न खरीदारों द्वारा बोलीकर्ताओं को प्रस्तुत भुगतान प्रतिभूति तथा अन्य वाणिज्यिक शर्तें भिन्न नहीं होंगी। बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोली आमंत्रित कर रहे खरीदारों के लिए समान होगा।

2.5 केंद्र सरकार जब कभी उपयुक्त समझे, तब बैंकिंग तंत्र के माध्यम से विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए इन दिशा-निर्देशों में संशोधन अधिसूचित करेगी।

अपवाद: विद्युत एक्सचेंजों से प्रापित विद्युत को इन दिशा-निर्देशों के क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा।

3. ई-निविदा तथा ई-रिवर्स नीलामी का आरंभ

3.1 प्रापक स्वयं अथवा एआर के माध्यम से ई-बोली पोर्टल का उपयोग करते हुए विद्युत प्राप्त करेंगे। ई-बोली पोर्टल के लिए लिंक www.mstcecommerce.com है और यह विद्युत मंत्रालय (www.powerin.nic.in) तथा पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (www.pfclindia.com) की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।

3.2 बोलीदाताओं और प्रापकों अथवा उनके एआर को उनके अपने यूजर आईडी तथा पासवर्ड के सृजन के लिए ई-बोली पोर्टल में पंजीकृत होना होगा। पंजीकरण हेतु, केवल बोलीदाताओं को ही एकवारगी 20,000 रुपए का गैर-वापसी पंजीकरण शुल्क तथा लागू करों का भुगतान करना होगा।

3.3 प्रापक अथवा उनके एआर ई-बोली पोर्टल पर मांग-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और इवेंट का सृजन कर सकते हैं। सभी बोलीदाता पीएफसीसीएल को अधिकतम क्षमता, जहां तक बोलीदाता बोली लगाने का इच्छुक है, के लिए 500 रुपए प्रति मेगावाट के अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने पर ई-बोली इवेंट में भाग लेने में सक्षम हो सकेंगे। अपेक्षित शुल्क तथा लागू कर एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा पोर्टल के माध्यम से, उपलब्ध करवाए गए ई-भुगतान गेटवे द्वारा जमा किए जाएंगे। बोली-प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात, केवल सफल बोलीदाता(ओं) को ही, प्रत्येक बोलीदाता को आबंटित मात्रा के लिए, इन शुल्कों का भुगतान करना होगा। पीएफसीसीएल द्वारा, शेष राशि को बिना किसी ब्याज के सात (7) कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। चयनित न होने वाले बोलीदाता(ओं) द्वारा जमा किए गए शुल्क को भी, इवेंट के पूरा होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर, पीएफसीसीएल द्वारा बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

3.4 ई-बोली पोर्टल के सभी प्रयोगकर्ताओं के लिए, पोर्टल तक पहुंचने के लिए वैध डिजिटल हस्ताक्षर अपेक्षित होंगे।

3.5 किसी इवेंट में, ई-निविदा और ई-रिवर्स नीलामी प्रक्रिया के दौरान चौबीसों घण्टे (आरटीसी) के आधार पर या विभिन्न समयावधियों के आधार पर विद्युत की एकल और बहुगुणी मांग पर निर्भर करते हुए एक या एक से अधिक बोलियां शामिल हैं। नीलामी के प्रत्येक इवेंट के लिए बोलीकर्ताओं के स्वतंत्र डिजिटल हस्ताक्षर अपेक्षित होंगे।

4. बोलियां आमंत्रित करने की तैयारी

4.1 अधिप्राप्तिकर्ता अल्पकालीन विद्युत का अधिप्राप्ति, उपयुक्त आयोग अथवा उपयुक्त निकाय, जिसका गठन उपयुक्त आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया गया हो, के द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार करेगा(गें)। ऐसे मामले में वितरण लाइसेंसी प्रापण प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने के बारे में उपयुक्त आयोग को सूचित करेगा।

4.2 यदि अल्पकालिक विद्युत की खरीद अनुमोदित वार्षिक अल्पकालीन खरीद योजना से अधिक होती है तो इस मामले में, खरीददार उपयुक्त आयोग अथवा उपयुक्त निकाय, जिसका गठन उपयुक्त आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया गया हो, से पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा(गें)।

5. प्रशुल्क संरचना

5.1 अधिप्राप्तिकर्ता अपनी आवश्यकता के आधार पर, पूरे दिन (आरटीसी) के आधार पर अथवा विभिन्न समय अंतरालों के लिए बोलियां आमंत्रित करेगा। अधिप्राप्तिकर्ता दी गई न्यूनतम मात्रा के, बोलीकर्ता को, निविदाकृत मात्रा के एक भाग को बोली के लिए भी विकल्प प्रदान करेगा। बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली क्षमता संपूर्ण संविदा अवधि के लिए एकसमान रहेगी।

5.2 बोलीकर्ता सुपुर्दगी बिंदु पर तीन (3) दशमलव तक एकल प्रशुल्क उद्धृत करेगा जिसमें क्षमता प्रभार, ऊर्जा प्रभार, व्यवसाय मार्जिन (यदि बोलीकर्ता व्यापारी हो तो), सुपुर्दगी बिंदु तक लागू कनेक्शन बिंदु (पीओसी) प्रभार तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकार/निकायों द्वारा लगाए गए सभी कर, शुल्क, उपकर इत्यादि शामिल होंगे। प्रशुल्क केवल भारतीय रुपए में ही नामोदिष्ट किए जाएंगे।

5.3 विद्युत के अंतर-राज्यीय पारेषण के लिए, प्रापक की राज्य/क्षेत्रीय परिरेखा सुपुर्दगी बिंदु मानी जाएगी। विद्युत के अंतःराज्यीय पारेषण के लिए, एसटीयू/सीटीयू के साथ विक्रेता का इंटरकनेक्शन बिंदु सुपुर्दगी बिंदु कहलाएगा।

5.4 संदेह दूर करने के लिए, अंतरा-राज्यीय ओपन एक्सेस प्रभार, पारेषण प्रभार तथा पीओसी इंजक्शन प्रभारों सहित हानियां तथा पीओसी इंटरफेस तक हानि विक्रेता के खाते में जाएगी तथा अंतरा-राज्यीय ओपन एक्सेस पीओसी आहरण प्रभार और अंतरा-राज्यीय ओपन एक्सेस के साथ हानियां, पारेषण प्रभार तथा हानियां अधिप्राप्तिकर्ता के खाते में जाएंगी।

5.5 संविदा अवधि के दौरान प्रशुल्क समान रहना चाहिए तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। यदि बोलियां भिन्न-भिन्न समय अंतरालों के लिए आमंत्रित की जाती हैं तो प्रशुल्क प्रत्येक समय अंतराल के लिए भिन्न होगा।

5.6 यदि विद्युत की आपूर्ति वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से की जा रही है तो, मौजूदा कॉरिडोर को रद्द करने तथा नए कॉरिडोर की बुकिंग करने इत्यादि के कारण यदि कोई अतिरिक्त प्रभार तथा हानि होती है तो यह बोलीकर्ता के खाते में जाएगी।

6. बोली प्रक्रिया

6.1 इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अधिप्राप्ति के लिए, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) प्रापक अथवा इसके एआर द्वारा आमंत्रित किया जायेगा जो इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

6.2 अधिप्राप्तिकर्ता व्यापक प्रचार के लिए, कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में आरएफपी सूचना प्रकाशित करेगा तथा इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करेगा। बोलियां आवश्यक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बोली के द्वारा की जाएंगी।

6.3 अधिप्राप्तिकर्ता किसी भी बोलीकर्ता/प्रतिभागी को निविदा दस्तावेज की लिखित व्याख्या ही प्रदान करेगा तथा इसे अन्य सभी बोलीकर्ताओं के लिए उपलब्ध करवाएगा। सभी पक्ष पूरी तरह से लिखित सूचनाओं पर ही विश्वास करेंगे। इसके अतिरिक्त, इसे ई-बोली पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा।

6.4 प्रापक द्वारा आरएफपी में प्रदान किए जाने वाले मानक दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होंगे,

1. अधिप्राप्तिकर्ता(ओं) की परिभाषा, विद्युत की आपूर्ति की प्रमात्रा, न्यूनतम मात्रा, समय अंतराल, अर्थात् सहित आवश्यकता, सुपुर्दगी बिंदु, वित्तीय बोली अर्थात् अपेक्षित मात्रा, न्यूनतम मात्रा, बोली मात्रा आपूर्ति स्रोत, प्रशुल्क तथा बोलीकर्ता को स्वीकार्य मात्रा को शामिल करने के लिए प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव (आईपीओ)।

II. बोलियों के मूल्यांकन में तथा संविदा अवार्ड करने के लिए बोलीकर्ता चुनने में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रियाएं तथा मानदंड।

III. बयाना जमा (ईएमडी)/बैंक गारंटी (बीजी)।

क. बोलीदाताओं से, अधिकतम क्षमता, जो कि प्रस्तुत करना चाहते हों (एकल बोली में या अनेक बोलियों की कुल मात्रा में) के लिए आरटीसी (30 दिन, 24 घंटे) आधार पर 30,000 रु. प्रति मेगावाट, प्रतिमाह की दर से ईएमडी जमा करना अपेक्षित होगा तथा घंटे के आधार पर बोलियां आमंत्रित करने के मामले में इस राशि को यथानुपातिक आधार पर, किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी/ई-बैंक गारंटी के रूप में अथवा पोर्टल में एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्रदत्त भुगतान गेटवे के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकल रूप में अंतरण के द्वारा घटा दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए: 4 घंटे के लिए 15 दिनों तक एक मेगावाट की मांग के लिए ईएमडी की राशि 30,000 रु. x (15 दिन/30 दिन) x (4 घंटे/24 घंटे) अर्थात् 2,500 रु. होगी।

ख. ईएमडी निम्नलिखित स्थितियों में जब्त हो जाएगी:-

- यदि दिशा-निर्देशों में इसका प्रावधान न किया गया हो और बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान बोली को वापस ले लेता है अथवा संशोधित करता है।
- सफल बोलीदाता(ओं) द्वारा संविदा निष्पादन गारंटी प्रस्तुत न किए जाने पर।

ग. असफल बोलीदाताओं को ईएमडी, बोली वैधता के समाप्त होने के 10 दिन के भीतर वापस कर दी जाएगी।

घ. सफल बोलीदाताओं को ईएमडी, संविदा निष्पादन गारंटी देने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।

IV. संविदा निष्पादन गारंटी (सीपीजी)

क) सफल बोलीदाता(ओं) के चयन की तिथि से 7 दिनों के अंदर, सफल बोलीदाता(ओं) से संविदा अवधि अथवा उसके अंश के लिए 2 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रतिमाह (30 दिन 24 घंटे) की दर पर परिकल्पित राशि की सीपीजी जमा किया जाना अपेक्षित है। घंटे के आधार पर विद्युत के प्रापण की सीपीजी की गणना ईएमडी की गणना करने के लिए ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार, यथानुपातिक दर पर की जाएगी।

ख) सीपीजी किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बीजी के रूप में होगी और संविदा अवधि की समाप्ति के पश्चात् 1 माह की दावा अवधि के साथ संविदा अवधि के लिए वैध होगी।

ग) यदि सीपीजी निर्धारित तारीख के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो अधिसूचना के अनुरूप प्रस्तुत की गई ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

घ) सफल बोलीदाता द्वारा दी गई सीपीजी, संविदा दायित्वों का निष्पादन न किए जाने पर जब्त कर ली जाएगी। संविदा अवधि को पूरा होने के पश्चात् सीपीजी 30 दिन के भीतर जारी की जानी चाहिए।

V. बोलीदाता के प्रस्ताव की वैधता विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने के समय तक की होगी।

VI. चयनित बोलीदाता के साथ किये जाने वाले प्रस्तावित पीपीए में निम्नलिखित से संबंधित आवश्यक ब्यौरा शामिल होगा :

- क. पक्षों के बीच जोखिम निर्धारण।
- ख. बाध्यकारी इवेंट का अर्थ निम्नलिखित किसी इवेंट का घटित होना होगा:
- पारेषण बंद होने/ग्रिड अवरोध के कारण विद्युत की अनुसूची में आरएलडीसी/एसएलडीसी द्वारा लगाए गए किसी प्रतिबंध को किसी भी पक्ष पर किसी दायित्व के बिना बाध्यकारी इवेंट माना जाएगा।
 - कोई इवेंट अथवा परिस्थिति अथवा मिले-जुले इवेंट्स और परिस्थितियां जैसे कि दैवीय प्रकोप, अपवादािक रूप से प्रतिकूल मौसमी स्थितियां, बिजली गिरना, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, ज्वालामुखी फटना, आग या भू-स्खलन या प्रणाली में व्यवधान डालने वाले आतंकवादी कार्य।
 - अनुंधित विद्युत को पारेषण अवरोध की अवधि के लिए कम हुआ माना जाएगा। पारेषण कॉरीडोर की अनुपलब्धता/आंशिक उपलब्धता संबंधित आरएलडीसी/एसएलडीसी द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।
 - संविदा अवधि के दौरान पारेषण गलियारे की अनुपलब्धता के मामले में अधिप्राप्तिकर्ता सीपीजी लौटा देगा।
- ग. विधि में परिवर्तन – विधि में परिवर्तन में निम्नलिखित शामिल होंगे–
- पारेषण शुल्कों और खुली पहुंच प्रभारों में कोई परिवर्तन
 - करों (आयकर को छोड़कर) शुल्कों प्रतिकरों में कोई परिवर्तन या विक्रेता द्वारा विद्युत की आपूर्ति हेतु लागू कोई कर, शुल्क प्रतिकर आरंभ होना।
- घ. बिलिंग चक्र – बोलीदाता निर्धारित ऊर्जा के लिए साप्ताहिक आधार पर या संविदा अवधि की समाप्ति पर बिल प्रस्तुत करें।
- ङ. निर्देशित क्षमता की आपूर्ति न कर पाने पर परिसमाप्त क्षतियों का भुगतान।
- दोनों पक्ष वह सुनिश्चित करेंगे कि वास्तविक निर्धारण में मासिक आधार पर अनुमोदित खुली पहुंच के अनुसार अनुबंधित विद्युत का 15% से अधिक विचलन न हो।
 - यदि प्रापक की ओर से अनुबंधित ऊर्जा, जिसके लिए खुली पहुंच मासिक आधार पर आबंटित की गई है, में 15% से अधिक विचलन होता है तो प्रापक संविदा के अनुसार खुली पहुंच शुल्क का भुगतान जारी रखते हुए 15% के अनुमत विचलन से अधिक की कमी के लिए प्रति किलोवाट घंटा प्रशुल्क के 20% की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।
 - यदि विक्रेता की ओर से अनुबंधित ऊर्जा जिसके लिए मासिक आधार पर खुली पहुंच आबंटित की गई है, के लिए विचलन 15% से अधिक है तो विक्रयकर्ता आपूर्ति की गई ऊर्जा में 15% के अनुमति प्राप्त विचलन से अधिक कमी के लिए प्रति किलोवाट घंटा प्रशुल्क के 20% की दर से प्रापक को मुआवजा देगा और प्रापक द्वारा प्रयोग न हो पाने की सीमा तक पहुंच शुल्क के लिए भुगतान करेगा।
- च. प्रापक द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली भुगतान अवधि/भुगतान सुरक्षा
- प्रापक(ओं) को पीपीए में दर्शाए गए प्रशुल्क पर अनुबंध क्षमता के अनुरूप 100% साप्ताहिक ऊर्जा के समतुल्य चक्रित साख पत्र (एलसी) प्रस्तुत करना होगा। साख पत्र विद्युत की आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले खोला जाएगा।

6.5 प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में वह अधिकतम अवधि दी जाएगी जिसमें, प्रापणकर्ता के दायित्वों के पूरा होने के अधीन, चयनित बोलीकर्ता पीपीए के प्रभावी होने के पश्चात् आपूर्ति करना शुरू कर दे।

7. बोली प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन

7.1 प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक मांग के लिए बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या कम से कम दो होनी चाहिए। यदि आरएफपी का उत्तर देने वाले बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है और प्रापक अभी भी चयन प्रक्रिया को जारी रखना चाहता है तो उपयुक्त आयोग की सहमति से, एकल बोलीदाता का चयन किया जा सकता है।

7.2 प्रापक बोलियों के मूल्यांकन हेतु स्थायी समिति का गठन करेगा।

7.3 ई-बोली प्रक्रिया का संचालन इसमें निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन किया जाएगा। प्रत्येक ई-बोली इवेंट में दो भाग अर्थात् ई-निविदा और ई-रिवर्स नीलामी शामिल होंगे। किसी इवेंट में बहुस्तरीय मांगों (अर्थात् विभिन्न समय अथवा स्थानों पर विद्युत की स्वतंत्र मांगों) शामिल हो सकती हैं। इवेंट में भाग लेने के लिए, प्रत्येक बोलीदाता को उस विशेष बोली के लिए विद्युत के स्रोतों को विनिर्दिष्ट करना होगा। प्रत्येक बोली में विद्युत की कुल मात्रा के साथ प्रति मांग के अनुसार केवल एक मूल्य होगा जिसकी बोलीदाता आपूर्ति करना चाहता है और इसके साथ इसे स्वीकार्य न्यूनतम थ्रेशहोल्ड मात्रा भी दी जाएगी। तथापि, बोलीदाता के पास उस इवेंट, जिसमें वह भाग लेने का इरादा रखता है, की मांग का चयन करने का विकल्प होगा। प्रत्येक बोली पर बोलीदाता के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे।

7.4 बोलीदाता एक लॉग इन के माध्यम से बोली प्रस्तुत करने के लिए एक डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करेगा और प्रत्येक लागइन के लिए बोलीदाता एक स्रोत से केवल एक ही मूल्य बोली प्रस्तुत करेगा। तथापि, प्रत्येक मांग के लिए बोलीदाता के पास समान या विभिन्न स्रोतों से पृथक लागइन से बहुस्तरीय बोलियां लगाने का विकल्प होगा।

उदाहरण के लिए:

इवेंट में एक या एक से अधिक मांगें हो सकती:

क्र.सं.	मात्रा (मेगावाट)	समयावधि	न्यूनतम मात्रा (मेगावाट)
1.	100	आरटीसी आधार पर 18/02/2016 से 18/03/2016 तक	10
2.	250	06.00 बजे से 18.00 बजे तक 18/3/2016 से 18/04/2016 तक	14

अब बोलीदाता निम्नानुसार बोली लगाएगा:-

क्र.सं.	मात्रा (मेगावाट)	समयावधि	स्रोत/परियोजना का नाम, पता	मूल्य बोली (रुपए/केडब्ल्यूएच)	आपूर्ति की जाने वाली कुल मात्रा (मेगावाट)	स्वीकार्य न्यूनतम थ्रेशहोल्ड मात्रा (मेगावाट)
1.	100	आरटीसी आधार पर 18/02/2016 से 18/03/2016 तक	एकल या बहुस्तरीय स्रोत	पी1 पी1 से पी5 तक	क्यू1 क्यू1 से क्यू5 तक	एम1 एम1 से एम5 तक

2.	250	06.00 बजे से 18.00 बजे तक 18/3/2016 से 18/04/2016 तक	एकात्मक या बहुस्तरीय स्रोत	पी1 पी1 से पी5 तक	क्यू1 क्यू1 से क्यू5 तक	एम1 एम1 से एम5 तक
----	-----	---	----------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------

7.5 बोली की प्रक्रिया का संचालन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु, ई-बोली पोर्टल में पंजीकरण, लॉगइन, डाउनलोडिंग तथा अपलोडिंग आदि जैसे प्रावधानों को बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इवेंट में ई-निविदा और ई-रिवर्स नीलामी प्रक्रिया दोनों शामिल होती है। नीलामी की प्रत्येक इवेंट के लिए बोलीदाता के स्वतंत्र डिजिटल हस्ताक्षर अपेक्षित होंगे। एक इवेंट में अलग-अलग समय और अवधि में विद्युत की मांग हो सकती है।

7.6 बोलीदाताओं से ई-बोली पोर्टल के माध्यम से पृथक गैर वित्तीय तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोलियों अर्थात् आरंभिक मूल्य प्रस्ताव (आईपीओ) प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। बोलीदाता के पास उसकी न्यूनतम श्रेणहोल्ड मात्रा को दर्शाने का विकल्प होगा और बोलीदाता(ओं) को विद्युत का आबंटन करने के लिए उस पर विचार किया जाएगा। गैर-वित्तीय बोलियों में उन स्रोतों, जिनसे बोलीदाता विद्युत की आपूर्ति करेगा, के बारे में विचलन के बिना एवं सूचना सहित सामान्य सहित निबंधन एवं शर्तों की स्वीकार्यता शामिल होगी। बोलीदाताओं से बोलियों के साथ अनिवार्य ईएमडी/बैंक गारंटी देना भी अपेक्षित होगा। बोलीदाता आरएफपी के प्रस्तुतीकरण की तारीख और समय से पूर्व अपने आईपीओ को संशोधित कर सकते हैं। प्रापक अथवा उसका एआर तकनीकी बोली के संबंध में अपेक्षित स्पष्टीकरण/दस्तावेज की मांग कर सकता है। गैर-वित्तीय तकनीकी बोलियों को स्वीकार करने के पश्चात्, वित्तीय बोलियों को बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार खोला जाएगा।

7.7 आईपीओ पूरी तरह से, आरएफपी में निर्धारित फारमेट के अनुसार होगा और शर्त रहित होगा। सशर्त मूल्य बोली तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

7.8 इवेंट में, यदि दो या उससे अधिक बोलीदाता आईपीओ और ई-रिवर्स नीलामी स्तर के दौरान प्रशुल्क की समान राशि उद्धृत करते हैं तो बोली के प्रस्तुतीकरण का समय उनकी रैंकिंग के लिए निर्धारण कारक होगा।

7.9 बोलीदाताओं के निष्कासन का कार्य निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा :

(i) आरंभिक मूल्य प्रस्तावों को खोले जाने के पश्चात्, प्रणाली द्वारा बोलीदाताओं का रैंक उनकी मूल्य बोलियों के अनुसार तय किया जाएगा। आईपीओ स्तर पर सबसे अधिक मूल्य बोली वाले बोलीदाता को एच-1 बोलीदाता कहा जाएगा। इसके पश्चात्, प्रणाली द्वारा आईपीओ स्तर में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत सारी मात्राओं का विश्लेषण किया जाएगा। यदि उद्धृत कुल मात्रा अपेक्षित मात्रा से दोगुनी हो तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले बोलीदाता (एच-1) को निष्कासित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि निष्कासन के पश्चात् कुल उद्धृत मात्रा अपेक्षित मात्रा के दोगुने से कम अथवा बराबर न हो।

(ii) निष्कासित प्रक्रिया प्रत्येक मांग के लिए अलग-अलग की जाएगी। एक इवेंट में, विगत में पैरा 7.4 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एक मांग से अधिक हो सकती है।

7.10 निष्कासन के पश्चात् संक्षिप्त सूची में आने वाले बोलीदाता को प्रणाली द्वारा उत्पादित ई-मेल द्वारा ही व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा। रिवर्स नीलामी आरंभिक मूल्य प्रस्तावों के खुलने के 120 मिनट के भीतर शुरू होनी चाहिए और

बिना किसी विस्तार (स्वतः या अन्यथा) के अगले 120 मिनटों की अवधि के लिए जारी रहेगी। रिवर्स नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं के पास, उनके द्वारा दर्शाए गए प्रशुल्क में एक पैसा या इसके गुणक में कमी करने और उनके द्वारा उद्धृत की गई प्रमात्रा में एक मेगावाट या इसके गुणक में बढ़ोतरी करने का विकल्प होगा। रिवर्स नीलामी के दौरान मौजूदा न्यूनतम प्रशुल्क को सभी बोलीदाता देख सकेंगे।

7.11 बोलीदाताओं के पास आईपीओ के साथ प्रस्तुत ईएमडी की कीमत के अनुरूप विद्युत की प्रमात्रा को बढ़ाने का विकल्प होगा। किंतु ई-रिवर्स नीलामी प्रक्रिया के दौरान प्रशुल्क को कम करना होगा।

7.12 ई-आरए प्रक्रिया के पश्चात बोलीदाता का रैंक आरोही के क्रम में प्रस्तुत प्रशुल्क के अनुसार होगा। सूची में उन पात्र बोलीदाताओं का नाम, प्रस्तुत मात्रा तथा उद्धृत प्रशुल्क भी शामिल होगा जिन्होंने विद्युत की मात्रा को और प्रशुल्क आईपीओ चरण से ईआरए चरण तक परिवर्तित नहीं किया है। बोलीदाता अपनी रैंक के क्रम में, अपेक्षित क्षमता तक विद्युत की मात्रा प्रस्तुत करते हुए सफल बोलीदाता होंगे। प्रापक संपूर्ण अपेक्षित क्षमता के पूरा होने तक, उनके द्वारा उद्धृत प्रशुल्क के आधार पर निर्धारित उनकी रैंकिंग के क्रम में सफल बोलीदाताओं से विद्युत का प्रापण करेगा।

7.13 प्रापकों के पास अपनी मांग को पूरा करने के लिए, उसी क्रम में सफल बोलीदाता(ओं)/चयनित बोलीदाता(ओं) को अवार्ड पत्र (एलओए) जारी करने का अधिकार होगा जो कि अपेक्षित क्षमता से कम हो सकते हैं। किन्तु न्यूनतम बोलीदाता की मात्रा से कमी नहीं हो सकते। यदि प्रापक सभी बोलियों को अस्वीकृत या रद्द करता है तो वह इसके अंतर्गत नई बोलियां मंगा सकता है। यदि प्रापक ई-रिवर्स नीलामी के बंद होने से 15 दिन की अवधि के भीतर एवार्ड पत्र जारी करने में असफल रहता है तो सफल बोलीदाताओं के पास ईएमडी जब्त हुए बिना छोड़ने का विकल्प होगा।

7.14 यदि चयनित बोलीदाताओं को उनके द्वारा वर्णित न्यूनतम ग्रेडहोल्ड मात्रा से कम विद्युत की मात्रा आबंटित की जाती है तो उनके पास ईएमडी जब्त हुए बिना छोड़ने का विकल्प होगा।

7.15 यदि एलओए जारी कर दिया जाता है किन्तु चयनित बोलीदाता अन्य बोली प्रक्रिया में चयनित होने के कारण मांग को पूरा करने की स्थिति में न हो तो ईएमडी/सीपीजी, जैसा भी मामला हो, को जब्त कर लिया जायेगा।

7.16 चयन के पश्चात, प्रापक द्वारा चयनित बोलीदाता को अवार्ड पत्र (एलओए) दोहरी प्रति में जारी किया जायेगा और चयनित बोलीदाता उसकी पावती देते हुए अवार्ड पत्र की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करेगा और पावती के रूप में वापस कर देगा। यदि चयनित बोलीदाता से अवार्ड पत्र की यथोचित रूप से हस्ताक्षरित प्रतिलिपि निर्धारित तारीख तक प्राप्त नहीं होती है, और प्रापक, उसके प्रस्तुतिकरण के लिए समय के विस्तार हेतु स्वीकृति नहीं देता, तो वह अवार्ड पत्र की पावती देने में चयनित बोलीदाता के असफल होने पर क्षति के रूप में उस बोलीदाता की ईएमडी को जब्त कर लेगा।

7.17 चयनित बोलीदाता(ओं) द्वारा अवार्ड पत्र की पावती देने के पश्चात, प्रापक बोली दस्तावेज में निर्धारित अवधि अर्थात् ई-रिवर्स नीलामी के बंद होने की तारीख से 15 दिन के भीतर, चयनित बोलीदाता(ओं) से विद्युत क्रय करार का निष्पादन करवाएगा। चयनित बोलीदाता विद्युत क्रय करार में किसी विचलन, परिवर्तन अथवा संशोधन की मांग करने के पात्र नहीं होंगे। प्रापक चयनित बोलीदाताओं द्वारा विद्युत क्रय करार के निष्पादन में सफल न होने पर क्षति के रूप में उस बोलीदाता की ईएमडी को जब्त करेगा। यदि प्रापक उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर विद्युत क्रय करार हस्ताक्षरित करने में असफल रहता है तो चयनित बोलीदाताओं के पास, ईएमडी/सीपीजी जैसा भी मामला हो, जब्त हुए बिना छोड़ने का विकल्प होगा।

7.18 प्रापक के पास, उचित समझे जाने पर, सभी बिलों को अस्वीकृत करने का अधिकार है, यदि प्रस्तुत प्रशुल्क प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं हों तो। की श्रेणी में नहीं है।

8. दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया से विचलन

8.1 सामान्यतया, इन दिशानिर्देशों से किसी भी प्रकार के विचलन की अनुमति नहीं दी जायेगी। तथापि, यदि इन दिशानिर्देशों से किसी भी प्रकार का विचलन अनिवार्य है तो यह उपर्युक्त आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है।

8.2 ऐसी स्थिति में, प्रापक या उसका एआर विचलनों को ई-मेल द्वारा एमएसटीसी लिमिटेड को भेजकर ई-बोली पोर्टल में इन दिशानिर्देशों के अनुसार तकनीकी बोली, वित्तीय बोली और बोली प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले विचलनों को शामिल करेगा। ई-बोली पोर्टल में विचलनों को शामिल करने के लिए इस प्रकार का लचीलापन होगा।

9. मध्यस्थता

9.1 जहां किसी परिवर्तन का दावा करते हुए या प्रशुल्क के निर्धारण के संबंध में या किसी प्रशुल्क से संबंधित मामले में या जिसके परिणामस्वरूप आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से प्रशुल्क में परिवर्तन हो सकता है, से कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे विवाद उपयुक्त आयोग द्वारा न्यायनिर्णीत किये जाएंगे।

9.2 अन्य सभी विवादों का समाधान भारतीय मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।

10. बोली प्रक्रिया के लिए समय सूची

बोली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अवधि अनुबंध-I के अनुसार होगी।

11. अनुबंध अवार्ड एवं निष्कर्ष

11.1 चयन प्रक्रिया के बाद चयनित बोलीदाता(ओं) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

11.2 बोली प्रक्रिया के संपन्न होने के पश्चात, आरएफपी बोलियों के मूल्यांकन हेतु गठित स्थायी समिति आरएफपी दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार बोली प्रक्रिया मूल्यांकन की पुष्टि पर उपयुक्त प्रमाणन करेगी। प्रापक उपयुक्त आयोग को इन दिशानिर्देशों के अनुरूप बोली प्रक्रिया होने की पुष्टि का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

11.3 पारदर्शिता के लिए, प्रापक, पीपीए हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात या पीपीए के प्रभावी होने पर, जो भी बाद में हो, सभी बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत प्रशुल्क दर्शाते हुए बोलियों को सार्वजनिक करेगा। ऐसा करते समय, केवल सफल बोलीदाता का नाम ही सार्वजनिक किया जायेगा और अन्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत प्रशुल्क बेनामी ढंग से सार्वजनिक किए जाएंगे।

11.4 यदि अधिप्राप्त की गई विद्युत की मात्रा एवं निर्धारित प्रशुल्क, संबंधित वर्ष की वार्षिक राजस्व मांग (एआरआर) में उपयुक्त आयोग द्वारा दिए गए व्यापक अनुमोदन के भीतर हैं, तो इसे उपयुक्त आयोग द्वारा स्वीकृत माना जायेगा।

अन्य सभी मामलों में, प्रापक पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 2 दिन के भीतर प्रशुल्क स्वीकार करने हेतु उपयुक्त आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत करेंगे। उपयुक्त आयोग याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से 7 दिन के अंदर निर्णय की सूचना देगा।

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

अनुबंध-I

अल्पावधिक प्रापण बोली प्रक्रिया एवं इसके पश्चात के कार्यकलापों की समय-सूची

क्र.सं.	इवेंट	शून्य तिथि में व्यतीत समय
1.	आरएफपी का प्रकाशन/इवेंट को सक्रिय करना	शून्य तिथि
2.	आरएफपी प्रस्तुत करना (ऑन लाइन डिजिटल हस्ताक्षरित, गैर-वित्तीय तकनीकी बोली तथा आईपीओ	4 दिन
3.	गैर-वित्तीय तकनीकी बोलियों को खोलना	5 दिन
4.	बोलीदाता(ओं) से मांगा गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तो,	6 दिन
5.	कोई स्पष्टीकरण न होने के मामले में गैर-वित्तीय तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन (यदि ई-बीजी सामान्यतः बोलीदाताओं को उपलब्ध हो तो समय 5 दिन का माना जाए तथा शेष इवेंट में अनुवर्ती समायोजन किया जाए)। (यदि स्पष्टीकरण मांगा गया हो तो प्रापक बोलीदाता(ओं) को 7 दिन तक के समय की अनुमति देना तथा शेष इवेंट में अनुवर्ती समायोजन किया जाए।	7 दिन
6.	आईपीओ खोलना (13:00 बजे तक) तथा ई-आरए शुरू करना।	8 दिन
7.	एलओए जारी करना तथा हस्ताक्षरित एलओए प्रस्तुत करना।	9 दिन
8.	पीपीए पर हस्ताक्षर करना।	10 दिन*
9.	विक्रेता/क्रेता द्वारा पहुंच अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना तथा एसएलडीसी सहमति प्राप्त करना।	प्रापक द्वारा अनुसूचित सुपुर्दगी तिथि पर निर्भर करते हुए तथा खुली पहुंच विनियमों के अनुरूप शामिल किया जाना है।
10.	एलसी खोलना	विद्युत आपूर्ति से पहले

* ई-बोली पोर्टल के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया अधिमानतः 10 दिनों में पूरी कर ली जाए।

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 30th March, 2016

Guidelines for short-term (i.e. for a period of more than one day to one year) Procurement of Power by Distribution Licensees through Tariff based bidding process

No. 23/25/2011-R&R (Vol-III).—1. Preamble

- 1.1. Promotion of competition in the electricity industry in India is one of the key objectives of the Electricity Act, 2003 (the Act). Power purchase cost constitutes the largest cost element for Distribution Licensees. Moreover, Power purchase cost for short-term procurement of Power is a significant part of overall Power purchase cost for Distribution Licensees. Competitive procurement of short-term power requirement by the Distribution Licensees is expected to reduce the overall cost of procurement of power and will result in significant benefits for consumers.
- 1.2. Sections 61 & 62 of the Act provide for tariff regulation and determination of tariff of generation, transmission, wheeling and retail sale of electricity by the Appropriate Commission. Section 63 of the Act states that –

“Notwithstanding anything contained in section 62, the Appropriate Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the Guidelines issued by the Central Government.”

- 1.3. The Central Government vide resolution dated 16th May 2012, notified the “Guidelines for short term (i.e. for a period less than or equal to one year) Procurement of Power by Distribution Licensees through Tariff based bidding process” (here in after referred as 'Guidelines of 2012'), under the provisions of section 63 of the Act.
- 1.4. Para 2 of the Guidelines of 2012 provided that "As and when considered appropriate (not later than 5 years from the issue of these guidelines), the Central Government would examine and introduce a system of 'Reverse Auction' through an e-platform.”
- 1.5. In view of the above, the Central Government hereby notifies the revised Guidelines for short term (i.e. for a period of more than one day to one year) Procurement of Power by Distribution Licensees through Tariff based bidding process inter alia introducing system of 'Reverse Auction' through an eBidding Portal w.e.f. 1st April, 2016.
- 1.6. Notwithstanding anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the provisions of the Guidelines of 2012, be deemed to have been done or taken under the provisions of these revised Guidelines.
- 1.7. The specific objectives of these Guidelines are as follows:
 - i) Promote competitive procurement of electricity by Distribution Licensees for their short term demand (for a period of more than one day to one year);
 - ii) Reduce the Power Purchase cost of Distribution Licensees through a process of planned procurement based on transparent guidelines;
 - iii) Provide benefit to consumers;
 - iv) Facilitate transparency and fairness in procurement processes; and
 - v) Introduce a system of e-Tendering and e-Reverse Auction.
- 1.8. These Guidelines shall be read along with the relevant provisions of the Electricity Act, 2003, Policies made thereunder and other applicable regulations issued by the Appropriate Commission. In case of any conflict, clarifications shall be issued by the Central Government.

2. Scope of the Guidelines

- 2.1. These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of power by Distribution Licensees (Procurer) for short-term i.e. for a period of more than one day to one year.

Explanation: For the purpose of these Guidelines, the term ‘Procurer(s)’ shall mean the Distribution Licensee(s) or the authorized representative (AR) of the Distribution Licensee(s) to perform all tasks for carrying out the bidding process in accordance with these Guidelines.
- 2.2. The Guidelines shall apply for procurement of short term power requirements through competitive bidding.
- 2.3. Unless explicitly specified in these Guidelines, the provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer(s).
- 2.4. Procurement by more than one Procurers through a combined bid process shall be permitted and in such a case the Procurers shall have the option to conduct the bid process through an AR including PFC Consulting Ltd. (PFCCL). For such combined procurement, each Procurer shall provide the necessary information required as per these Guidelines. To ensure standardization in evaluation of bids, the payment security and other commercial terms offered to the Bidders by the various Procurers shall not vary. The price offered by the Bidders shall be same for Procurers inviting the bid.
- 2.5. As and when considered appropriate, the Central Government would notify the amendment to these guidelines for procurement of power through Banking mechanism.

1. **Exception:** Power procured from Power Exchanges shall be excluded from the scope of these Guidelines.

3. Introduction of e-Tendering and e-Reverse Auction

- 3.1. The Procurer(s) shall procure power using the eBidding portal by themselves or through an AR. The link for the eBidding portal is www.mstcecommerce.com, and is also available on the website of Ministry of Power (www.powermin.nic.in) and PFC Consulting Limited (www.pfcclindia.com).
- 3.2. The Bidders and Procurers or their AR shall have to be registered with the eBidding portal to create their own user id and password. For registration, only Bidders shall have to pay one time non-refundable registration fee of Rs. 20,000/- plus applicable taxes.
- 3.3. The Procurer(s) or their AR can raise indents on the eBidding portal and create events. All the Bidders would be able to participate in the eBidding events on making payment of the requisite fees of ₹ 500 per MW for the maximum capacity, a bidder is willing to bid, to PFCCL. The requisite fee plus applicable taxes shall be deposited through the portal by e-Payment Gateway provided by MSTC Ltd. After the completion of the bidding process, only successful Bidder(s) will have to pay these charges for the quantum allocated to each bidder. The balance amount will be refunded by PFCCL within seven (7) working days without any interest. The fee deposited by non Selected Bidder(s) will also be refunded by PFCCL within seven (7) working days of completion of the event without any interest.
- 3.4. All the users of the eBidding portal shall require valid digital signatures to have access to the portal.
- 3.5. An event involves one or more bids depending upon single or multiple requisition of power on round the clock (RTC) basis or for different time slots during both eTender and eReverse auction process. Each event of the auction would require independent digital signature of the Bidder.

4. Preparation for inviting bids

- 4.1. The Procurer(s) shall procure short term power as per the plan approved by Appropriate Commission or appropriate body as may have been constituted for the purpose by the Appropriate Commission. In such case the Distribution Licensees will intimate about the initiation of the procurement process to the Appropriate Commission.
- 4.2. In case procurement of short term power exceeds the approved annual short term procurement plan, the Procurer(s) shall obtain prior approval from the Appropriate Commission or any appropriate body as may have been constituted for the purpose by the Appropriate Commission.

5. Tariff Structure

- 5.1. The Procurer based on its requirement may invite the bids on round the clock (RTC) basis or for different time slots. Procurer may also provide flexibility to the Bidder(s) to bid for a part of the tendered quantity, subject to a given minimum quantity. Bid capacity offered by the Bidder shall have to be constant for the entire contract period.
- 5.2. The Bidder shall quote the single tariff at the Delivery Point upto three (3) decimals which shall include capacity charge, energy charge, trading margin (in case of Bidder being a Trader), applicable Point of Connection (POC) charges upto Delivery Point and all taxes, duties, cess etc. imposed by Central Govt. / State Govt. / Local bodies. Tariffs shall be designated in Indian Rupees only.
- 5.3. For inter-State transmission of power, state/regional periphery of the Procurer to be taken as Delivery Point. For intra-state transmission of power, inter-connection point of seller with STU/ CTU to be taken as Delivery Point.
- 5.4. For avoidance of doubt, Intra-state open access charges, transmission charges and losses along with POC injection charges and loss up to the POC interface are on Seller's account and POC drawl charges and losses along with intra-state open access, transmission charges and losses are on Procurer's account.

- 5.5. The tariff should be constant and there shall be no escalation during the contractual period. If Bids are invited for different time slots then tariff may be different for each time slot.
- 5.6. If the power is being supplied through alternate source, additional charges and losses if any, due to cancellation of existing corridor and booking of new corridor etc., shall be to the account of Bidders.

6. Bidding Process

- 6.1. For procurement of power under these Guidelines, a Request for Proposal (RfP) shall be invited by the Procurer or its AR, which shall be prepared in line with these Guidelines.
- 6.2. The Procurer shall publish a RfP notice in at least two national newspapers and upload the same on its website to accord it wide publicity. The bidding shall necessarily be by way of competitive bidding.
- 6.3. Procurer shall provide only written interpretation of the tender document to any Bidder/participant and the same shall be made available to all other Bidders. All parties shall rely solely on the written communication. In addition, the same shall be uploaded in the eBidding portal.

6.4. Standard documentation to be provided by the Procurer in the RfP shall include,

- i) Definition of Procurer(s), requirements including Quantum, minimum quantity, time slot, duration for supply of power and delivery point, Financial Bid i.e. Initial Price Offer (IPO) to include required quantity, minimum quantity, bid quantity, source of supply, Tariff and Bidder's acceptable quantity.
- ii) the procedures and criteria to be used to evaluate bids and select the Bidder for award of contract.
- iii) Earnest Money Deposit (EMD)/ Bank Guarantee (BG)
 - a. The Bidders are required to submit EMD for the maximum capacity which they wish to offer (in single bid or sum total of multiple bids) @ Rs. 30,000/- per MW per month on RTC (30 days, 24 hours) basis and same shall be reduced on pro-rata basis in case bids are invited on hourly basis, in the form of Bank Guarantee / eBank Guarantee issued by any Nationalized/Scheduled Bank or Electronically Transfer through payment gateway provided by MSTC Ltd. in the portal.

For Example: For a requirement of 1 MW for 15 days for 4 hours, the EMD shall be Rs. 30,000 x (15 days / 30 days) x (4 hrs / 24 hrs) = Rs. 2,500/-
 - b. The EMD shall be forfeited:
 - If Bidder withdraws bid during Bid Validity Period except as provided in these guidelines.
 - For non-submission of Contract Performance Guarantee by Successful Bidder(s).
 - c. The EMD shall be refunded to the unsuccessful Bidders within 10 days of expiry of Bid validity period.
 - d. The EMD of the Successful Bidder(s) shall be refunded after furnishing the Contract Performance Guarantee (CPG).
- iv) Contract Performance Guarantee (CPG)
 - a. The Successful Bidder(s) may be required to furnish CPG within 7 days from the date of selection of Successful Bidder(s) for an amount calculated at **Rs. 2 lac** per MW per month (30 days, 24 hours) of contract period or part thereof. The CPG for the procurement of power on hourly basis shall be calculated on pro-rata basis as per the example given above for calculating EMD.
 - b. The CPG shall be in the form of BG issued by any Nationalized/Scheduled Bank and valid for the period of Contract with a claim period of 1 month after the expiry of contract period.
 - c. In the event, the CPG is not furnished within the stipulated date, the EMD submitted against the Notification shall be forfeited.
 - d. The CPG provided by the Successful Bidder(s) shall be forfeited for non-performing the

contractual obligations. The CPG should be released within 30 days after completion of Contract Period.

- v) Validity period of offer of Bidder shall be till the time of signing of Power Purchase Agreement (PPA).
- vi) PPA proposed to be entered with the Selected Bidder(s) shall include necessary details on:
- a. Risk allocation between parties;
 - b. Force Majeure Events shall mean the occurrence of any of the following events:-
 - Any restriction imposed by RLDC/SLDC in scheduling of power due to breakdown of Transmission/Grid constraint shall be treated as Force Majeure without any liability on either side.
 - Any of the events or circumstances, or combination of events and circumstances such as act of God, exceptionally adverse weather conditions, lightning, flood, cyclone, earthquake, volcanic eruption, fire or landslide or acts of terrorism causing disruption of the system.
 - The contracted power will be treated as deemed reduced for the period of transmission constraint. The non/part availability of transmission corridor should be certified by the concerned RLDC/SLDC.
 - The procurer would return the CPG in case of non availability of transmission corridor during the contract period.
 - c. Change in Law – Change in Law shall include
 - Any change in transmission charges and open access charges
 - Any change in taxes (excluding income tax), duties, cess or introduction of any tax, duty, cess made applicable for supply of power by the Seller
 - d. Billing cycle – Bidders may raise bills on weekly basis or at the end of the contract period for the energy scheduled
 - e. Payment of Liquidated Damages for failure to supply the Instructed Capacity:
 - Both the parties would ensure that actual scheduling does not deviate by more than 15% of the contracted power as per the approved open access on monthly basis.
 - In case deviation from Procurer side is more than 15% of contracted energy for which open access has been allocated on monthly basis, Procurer shall pay compensation at 20% of Tariff per kWh for the quantum of shortfall in excess of permitted deviation of 15% while continuing to pay open access charges as per the contract.
 - In case deviation from Seller side is more than 15% of contracted energy for which open access has been allocated on monthly basis, Seller shall pay compensation to Procurer at 20% of Tariff per kWh for the quantum of shortfall in excess of permitted deviation of 15% in the energy supplied and pay for the open access charges to the extent not availed by the Procurer.
 - f. Payment term/Payment security to be made available by the Procurer
 - The Procurer(s) may be required to provide revolving Letter of Credit (LC) equivalent to 100% of the weekly energy corresponding to Contracted Capacity at the tariff indicated in PPA. LC shall be opened prior to commencement of supply of power.
- 6.5. The RfP shall provide the maximum period within which the Selected Bidder(s) must commence supplies after the PPA becomes effective, subject to the obligations of the Procurer being met.

7. Bid submission and evaluation

- 7.1. To ensure competitiveness, the minimum number of Bidders should be at least two for each requisition. If the number of Bidders responding to the RfP is less than two, and Procurer still wants to continue with the selection process, the selection of that single Bidder may be done with the consent of the Appropriate Commission.
- 7.2 The Procurer shall constitute a Standing Committee for evaluation of the Bids.
- 7.3 The process of e-Bidding shall be conducted online, in accordance with the provisions laid herein. Each eBidding event shall comprise of two parts i.e. e-Tender and e-Reverse Auction. An event may have multiple requisitions (i.e. independent requirements of power at different time or places). To participate in the event each Bidder will have to specify the source(s) of power for that particular bid. Each bid will have only one price per requisition accompanied by total quantum of power, the Bidder intends to supply and minimum threshold quantum acceptable to the Bidder. However, the Bidder shall have the option to choose the requisition of an event in which it intends to participate. Each of the bid will have to be signed by the Digital Signature of the Bidder.
- 7.4 The Bidder shall use one Digital Signature to submit bid through one login and for each login the Bidder may submit only one price bid from one source. However, against each requisition the bidder have the option to bid multiple bids from separate logins either from same or different sources.

For example:

An event may have one or more requisitions:

S.No.	Quantum (MW)	Time Period	Minimum Quantum (MW)
1.	3. 100	RTC basis 18/02/2016 to 18/03/2016	10
2.	5. 250	0600 hrs to 1800 hrs 18/03/2016 to 18/04/2016	14

Now the Bidder may bid as follows:

S.No.	Quantum (MW)	Time Period	Source/ Name of the Project, Address	Price Bid (Rs./kWh)	Total Quantum to be supplied (MW)	Minimum Threshold Quantity acceptable (MW)
1.	100	RTC basis 18/02/2016 to 18/03/2016	Single or multiple source	P1	Q1	M1
				P1 to P5	Q1 to Q5	M1 to M5
2.	250	0600 hrs to 1800 hrs 18/03/2016 to 18/04/2016	Single or multiple source	P1	Q1	M1
				P1 to P5	Q1-to Q5	M1 to M5

- 7.5 The process of bidding shall be conducted electronically. For this purpose, provisions like registration, log in, downloading and uploading etc. in the eBidding portal shall be specified in the Bid document. An event involves both eTender and eReverse auction process. Each event of the auction would require independent Digital Signature of the Bidder. An event may have requirement of power at different time and period.

- 7.6 Bidders shall be required to submit separate non financial technical Bid and Financial Bids i.e. Initial Price Offer (IPO) through eBidding portal. The Bidder will have the option to indicate their minimum threshold quantity and the same would be considered for allocation of power to the Bidder(s). The non financial Bids shall contain the acceptance of general terms and conditions without any deviation and information about the sources from which the Bidder shall supply the power. Bidders shall also be required to furnish necessary EMD/Bank Guarantee along with the Bids. The Bidders can revise their IPOs before date and time of submission of RfP. The Procurer or its AR can seek clarifications/documents required in connection with technical bid. After acceptance of the non financial technical Bids, the Financial Bids shall be opened as per the procedures specified in the Bid document
- 7.7 The IPO shall be strictly as per the format prescribed in the RfP and shall be unconditional. The conditional price bid shall be summarily rejected.
- 7.8 In the event, if two or more Bidders quote the same amount of Tariff during IPO and e-Reverse Auction stage, the time of submission of bid will be the deciding factor for their ranking.
- 7.9 The elimination of the Bidders shall be done by the following method:
- i) After the opening of Initial Price Offers, the system will rank the Bidders according to their price bids. The Bidder with the highest price bid in IPO stage will be called the H1 Bidder. The system will then analyze all the quantities offered by the Bidders in the IPO stage. If the total quoted quantity is greater than twice the Requisitioned Quantity, the Highest Bidder(H1) will be eliminated provided that the total quoted quantity after elimination is not less than or equal to twice the Requisitioned Quantity.
 - ii) The Elimination process will be done for each of the requisition separately. One event may have more than one requisition as explained earlier in Para 7.4
- 7.10 The shortlisted Bidder after elimination will be intimated individually by system generated emails only. The Reverse auction should start within 120 minutes of opening of Initial Price Offers and shall continue for a period of next 120 minutes without any extension (automatic or otherwise). During the Reverse Auction the Bidders will have the option of reducing the tariff quoted by them in decrements of one paise or multiples thereof and to increase the quantum quoted by them by 1 MW or multiples thereof. During the Reverse Auction the prevailing Lowest Tariff would be visible to all the Bidders.
- 7.11 The Bidders will have the option to increase the quantum of power upto corresponding to the value of EMD submitted along with IPO, but decrease the Tariff during the e-Reverse Auction process.
- 7.12 The Bidder after the e-RA process will be ranked in accordance with the tariff offered in ascending order. The list would also include the name, quantum offered and tariff quoted by those qualified Bidder(s) who have not changed the quantum of power and tariff from IPO stage to e-RA stage. The Bidder(s), in order of their rankings, offering the quantum of power upto the requisitioned capacity would be the Successful Bidder(s). The Procurer shall procure power from the Successful Bidders in the order of their rankings decided on the basis of tariff quoted by them until the entire Requisitioned Capacity is met.
- 7.13 The Procurers shall have the right to issue Letter of Award (LoA) to the Successful Bidder(s) [Selected Bidder(s)] in the same order to fulfil its requirement, which can be lower than the Requisitioned Capacity but not less than the quantum of Lowest Bidder. In the event Procurer rejects or annuls all the Bids, it may go for fresh Bids hereunder. In case the Procurer fails to issue the LoA within a period of 15 days from the close of e-Reverse Auction, the Successful Bidder(s) shall have the option to exit without forfeiting the EMD.
- 7.14 In case the Selected Bidder(s) is allocated a quantity of power less than the minimum threshold quantum mentioned by it, it shall have the option to exit without forfeiting the EMD.
- 7.15 In case the LOA is issued but Selected Bidder(s) is/are not in a position to fulfil the requirement, being selected in another bidding process the EMD/CPG shall be forfeited as the case may be.
- 7.16 After selection, a Letter of Award (the "LOA") shall be issued, in duplicate, by the Procurer to the Selected Bidder(s) and the Selected Bidder(s) shall, sign and return the duplicate copy of the LOA in acknowledgement thereof. In the event the duplicate copy of the LOA duly signed by the

Selected Bidder(s) is not received by the stipulated date, the Procurer may, unless it consents for extension of time for submission thereof, forfeit the EMD of such Bidder as Damages on account of failure of the Selected Bidder(s) to acknowledge the LOA.

- 7.17 After acknowledgement of the LOA by the Selected Bidder(s), the Procurer shall cause the Selected Bidder(s) to execute the PPA within the prescribed period in the Bid document i.e. within 15 days from the close of the e-Reverse Auction. The Selected Bidder(s) shall not be entitled to seek any deviation, modification or amendment in the PPA. The Procurer would appropriate the EMD of such Bidder as Damages on account of failure of the Selected Bidder(s) to execute the PPA. In case the Procurer fails to sign the PPA within the period prescribed above, the Selected Bidder(s) shall have the option to exit without forfeiting the EMD/CPG as the case may be.
- 7.18 The Procurer, in its own discretion, has the right to reject all Bids if the Quoted Tariffs are not aligned to the prevailing market prices.

8. Deviation from process defined in the Guidelines

- 8.1. Generally, no deviation shall be allowed from these Guidelines. However, if it is essential to have the deviation from these Guidelines, the same could be done with the prior approval of the Appropriate Commission.
- 8.2. In such event, the Procurer or its AR would incorporate the deviations affecting the technical bid, financial bid and bidding process as per these Guidelines in the eBidding portal by sending the same by email to MSTC Ltd. The eBidding portal would have such flexibility in accommodating the deviations.

9. Arbitration

- 9.1. Where any dispute arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the Appropriate Commission.
- 9.2. All other disputes shall be resolved by arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996.

10. Time Table for Bid Process

- 10.1 The period for completion of bid process, shall be as per Annexure-I.

11. Contract award and conclusion

- 11.1. The PPA shall be signed with the Selected Bidder(s) consequent to the selection process.
- 11.2. After the conclusion of bid process, the Standing Committee constituted for evaluation of RfP bids shall provide appropriate certification on conformity of the bid process evaluation according to the provisions of the RfP document. The Procurer shall provide a certificate on the conformity of the bid process to these Guidelines to the Appropriate Commission.
- 11.3. For the purpose of transparency, the Procurer shall make the bids public by indicating the tariff quoted by all the Bidders, after signing of the PPA or PPA becoming effective, whichever is later. While doing so, only the name of the Successful Bidder(s) shall be made public and tariffs quoted by other Bidders shall be made public anonymously.
- 11.4. If the quantum of power procured and tariff determined are within the blanket approval granted by the Appropriate Commission in Annual Revenue Requirement (ARR) of the respective year, then the same will be considered to have been adopted by the Appropriate Commission.

In all other cases, the Procurer(s) shall submit a petition to the Appropriate Commission for adoption of tariff within 2 days from the date of signing of PPA. Appropriate Commission should communicate the decision within 7 days from the date of submission of petition.

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

Annexure-I**Time table for short term Procurement bid process and activities afterwards**

S. No.	Event	Elapsed time from Zero date
1.	Publication of RfP/Activation of Event	Zero Date
2.	Submission of RfP (on line digitally signed non financial technical Bid and IPOs)	4 days
3.	Opening of non financial technical Bids	5 days
4.	Clarification, if any, sought from Bidder(s)	6 days
5.	In case of no clarification, evaluation of non financial technical Bids (if e-BG is generally available to the Bidders, then the time may be taken as 5 days and subsequent adjustment be made in the remaining events). (In case of clarification sought, the Procurer may allow upto 7 days to the Bidder(s) and subsequent adjustment be made in the remaining events).	7 days
6.	Opening of IPOs (upto 1300 hrs) and start of e-RA	8 days
7.	Issuance of LOA and submission of signed LOA.	9 days
8.	Signing of PPA	10 days*
9.	Submission of Application for Open Access approval and Obtaining SLDC consent by the seller / purchaser	To be inserted by Procurer depending on schedule delivery date and in line with the Open Access Regulations
10.	Opening of the LC	Prior to supply of Power

* This process of competitive bidding through eBidding portal should preferably be completed within 10 days.